13

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 57 / सी0आर0 558/1(3)/73 भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, [illegible]

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

विषय :- शासकीय कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र की स्वीकृति कार्यप्रणाली ।

******

शासन के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें शासकीय कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र कई वर्षों तक स्वीकृत नहीं किए गए क्योंकि उनके विरूद्ध या तो कुछ शासकीय धन बकाया था या विभागीय जाँच चल रही थी । इस बीच शासकीय सेवक ने अपना त्याग पत्र वापस ले लिया और उस व्यक्ति को शासन द्वारा पुनः सेवा में लेना पड़ा क्योंकि इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 720/491/1(3)/65 तारीख 22-4-64 में यह व्यवस्था दी गई है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र यदि स्वीकृत होने के पूर्व वापिस ले लिया जाए तो फिर सक्षम अधिकारी के पास कोई त्याग पत्र ही नहीं रहता जिसे स्वीकार किया जाए । यदि त्याग पत्र वापिस लेने के बाद उसे स्वीकृत किया जाता है तो वह संविधान की धारा 311(2) के विरूद्ध होगा ।

2/ यह सर्वमान्य सिध्दांत है कि अनिच्छुक व्यक्ति को शासन की सेवा में रखना वांछनीय नहीं है । अतः जब कभी भी कोई शासकीय सेवक सेवा से त्याग पत्र देता है तो उसे स्वीकार करने में तब तक कोई आपत्ति नहीं उठानी चाहिए, जब तक उसके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जाँच चालू न हो या चालू होने वाली न हो । विभागीय जाँच भी यदि ऐसे आरोपों के लिए की जा रही हो जहाँ उस शासकीय सेवक को केवल लघु - शास्ति अधिरोपित की जाने वाली हो, तो विभागीय जाँच पूर्ण होने तक त्याग पत्र को रोके रखना ठीक नहीं है । ऐसे मामलों में विभागीय जाँच तुरन्त बंद कर त्याग पत्र मंजूर कर लिये जावें । केवल उन्हीं मामलों में त्याग पत्र स्वीकार न किए जाएँ जहाँ उसके विरूद्ध गंभीर आरोप हों और उसे सेवा से पृथक करने की शास्ति दी जाने वाली हो ।

3/ कभी कभी त्याग पत्र स्वीकृत करने में देर इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके संबंध में "कोई बकाया नहीं" का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक शासकीय धन की वसूली का प्रश्न है, किसी भी शासकीय कर्मचारी का त्याग पत्र इसलिये न रोका जाए कि उसकी ओर शासकीय राशि बकाया है और उसकी वसूली नहीं हो रही है। यदि शासकीय कर्मचारी शासन का बकाया (dues) वापिस नहीं करता है तो उसके अन्तिम वेतन से उसे वसूल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ धन राशि वसूल करने को बाकी हो तो सिविल सूट के द्वारा उसे वसूल करना अधिक हितकर रहेगा, न कि अनिच्छुक व्यक्ति को सेवा में रखकर वसूल करना। अतः त्याग पत्र प्रस्तुत करने वाले शासकीय सेवक को त्याग पत्र का नोटिस मिलने वाले महिने से लेकर उस महिने तक जिसमें कि वह मंजूर हो उसका वेतन उस समय तक नहीं दिया जाए जब तक कि " कुछ लेना नहीं प्रमाण पत्र " (no demand certificate) प्राप्त न हो जाए।

4/ अतः भविष्य में जब कभी भी कोई शासकीय सेवक त्याग पत्र प्रस्तुत करे तो सक्षम अधिकारी द्वारा अधिक से अधिक एक माह के भीतर ही उसके त्याग पत्र की स्वीकृति के आदेश निकाल दिए जाँए। केवल ऐसी मामलों में ही त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जाए जहाँ उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार, गबन इत्यादि के गंभीर आरोपों के कारण विभागीय जाँच चालू हो या चालू की जाने वाली हो।

5/ इस विभाग के तारीख 3 जून, 1967 के आदेश क्रमांक 1356/1650/ 1(3) के अंतर्गत दिये गये अनुदेश (जब तक विभागीय जाँच पूर्ण न हो तब तक सरकारी कर्मचारियों के त्याग पत्र मंजूर न किए जाँए) को ऊपर के पैराग्राफ में उल्लिखित प्रकार संशोधित समझा जाए।

(मु0 वि0 गर्दे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग